सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 2307 / 1040 / 2014 दिनांकः– 20.05.2016

के मामले में

श्री मन्तोष कुमार,
कैलाश नगर कालोनी,
नया ट्रांसफार्मर के पास,
चास, बोकारो–827013, झारखंड ..... शिकायतकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान,
द्वारा – निदेशक,
116, राजपुर मार्ग,
देहरादून–248001 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 03.05.2016

उपस्थितः
1. श्री मंतोष कुमार, शिकायतकर्ता
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री मन्तोष कुमार, 90% दृष्टिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत दृष्टिबाधित व्यक्ति का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा में धांधली से संबंधित शिकायत पत्र दिनांक 18.02.2014 प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें दर्शायी गई अर्हता को पूर्ण करते हुए उन्होंने उक्त पद हेतु आवेदन किया था । परन्तु संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी ने शिकायतकर्ता के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर व जानबूझकर उक्त पद हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार जोकि दिनांक 17.02.2014 को सम्पन्न हुआ, के लिए पत्र उन्हें उचित समय पर प्रेषित नहीं किया । प्रार्थी को उक्त प्रवेश–पत्र उनके स्थायी पते पर प्रवेश परीक्षा के मात्र एक कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हुआ जबकि प्रार्थी उक्त संस्थान में एम.एड (विशिष्ट शिक्षा) का छात्र है तथा संस्थान के छात्रावास में निवास

.....2 / –

करता है । प्रार्थी सदा से किसी भी आवेदन हेतु अपना स्थायी पता आवेदन में दर्शाता है तथा संस्थान के अधिकारियों को ज्ञात है कि प्रार्थी संस्थान में ही निवास कर रहा है । इसके पूर्व प्रार्थी के स्थायी पता दर्शाए गए सभी पत्रों की प्राप्ति प्रार्थी को संस्थान से ही होती आ रही है । लेकिन प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा में शामिल न होने देने के उद्देश्य से संस्थान के अधिकारियों द्वारा लिखित या मौखिक परीक्षा के लिए कोई सूचना यथा समय नहीं दी गई तथा प्रार्थी के स्थायी पते पर इतना ज्यादा विलम्ब से पत्र भेजा ताकि उचित समय पर प्रवेश पत्र प्रार्थी को प्राप्त न हो पाए और प्रार्थी किसी प्रकार से उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भाग न ले सके । संस्थान के पास अपना वेबसाइट उपलब्ध होने के बावजूद भी वेबसाइट पर उक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना प्रदर्शित नहीं किया गया ताकि प्रार्थी वेबसाइट से सूचना प्राप्त न कर सके । प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षा विशेषज्ञ के रूप मे ऐसे व्यक्ति को रखा गया जिसकी नियुक्ति दिनांक 04.06.2012 को आई.टी. एण्ड ए.टी. एजूकेटर के पद पर हुई थी । प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त के आधार पर दिनांक 17.02.2014 को हुई परीक्षा को रद्द कर संपूर्ण तथ्यों की पूरी जांच के पश्चात् प्रवेश परीक्षा का आयोजन पुनः कराया जाए । प्रवेश परीक्षा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सभी अभ्यर्थी समय पर पहुंच सके । प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार समिति का चयन मंत्रालय के मानकों के आधार पर निर्धारित करवाएं ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 17.10.2014 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् स्मरण–पत्र दिनांक 14.03.2015, 19.06.2015 और 16.10.2015 को जारी किए जाने के पश्चात् भी प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

4. शिकायतकर्ता की शिकायत दिनांक 18.02.2014 को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सुनवाई दिनांक 09.03.2016 को निर्धारित की गई जोकि दिनांक 03.05.2016 को पुनः निर्धारित की गई ।

.....3 / –

5. प्रतिवादी ने पत्र कमांक एनआईवीएच / 2307 / 1040 / 14—मंतोष दिनांक 27.04. 2016 द्वारा अपने लिखित कथन प्रस्तुत किए, जिनमें प्रतिवादी ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है और वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है । यह सच है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । यह भी सच है कि शिकायतकर्ता आवेदनकर्ताओं में से एक अभ्यर्थी था । तथापि, इस बात में सच्चाई नहीं है कि संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी ने किसी द्वेषभाव अथवा अन्य किसी कारण से शिकायतकर्ता को चयन परीक्षा और साक्षात्कार की तारीख के बारे सूचित नहीं किया । शिकायतकर्ता का यह कहना कि पूर्व में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए आयोजित परीक्षा में उन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए थे, गलत है क्योंकि वास्तविक तथ्य यह है कि कोई सही अभ्यर्थी नहीं पाया गया था और चयन प्रकिया को स्थगित कर दिया गया था । चयन प्रकिया जून, 2012 में पुनः आयोजित की गई और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के साथ ही साथ आई.टी. एवं ए.टी. एजूकेटर के पद के लिए चयन किया गया । यह कहना गलत है कि उपरोक्त चयन प्रकिया में कोई अनियमितता हुई । शिकायतकर्ता ने वर्तमान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए आयोजित की गई चयन प्रकिया में भाग नहीं लिया जबकि तीन दिन पूर्व ही शिकायतकर्ता को चयन परीक्षा की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में पता लग गया था । शिकायतकर्ता के इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि श्री प्रकाश चन्द की नियुक्ति मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के न्यायालय ने अवैध घोषित की थी । शिकायतकर्ता ने दुर्भावना से तथ्यों और अभिलेख को गलत तरीके से पेश किया है । श्री प्रकाश चन्द की कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्ति गुणता पर आधारित थी । शिकायतकर्ता की शिकायत गुणता रहित है और खारिज की जानी चाहिए ।

6. प्रतिवादी ने अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 27.04.2016 के साथ संलग्न लिखित कथन के पैरा 6 में वर्णित किया है कि यह सच है कि शिकायतकर्ता ने जून, 2012 में आयोजित चयन प्रकिया से संबंधित शिकायत मुख्य आयुक्त विकलांगजन के न्यायालय में एक शिकायत केस संख्या 70 / 1041 / 12—13 (मंतोष कुमार बनाम एनआईवीएच) द्वारा की

.....4 / —

थी । तथापि, इस कथन में सच्चाई नहीं है कि न्यायालय ने एनआईवीएच को दोषी ठहराया था । न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2013 को पारित आदेश स्वतः वर्णित और स्पष्ट हैं । शिकायत के पैरा 7 के उत्तर में यह निवेदन है कि पुनः यह झूठा कथन है कि श्री प्रकाश चन्द की नियुक्ति मुख्य आयुक्त विकलांगजन, नई दिल्ली के न्यायालय द्वारा केस संख्या 70 / 1041 / 12–13, (मंतोष कुमार बनाम एनआईवीएच) में अवैध घोषित की गई थी । शिकायतकर्ता ने दुर्भावना से तथ्यों और अभिलेखों का दुर्व्यपदेशन किया है । उनके द्वारा आगे यह दलील देना गलत है कि एनआईवीएच द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध कोई अभिकथित षडयंत्र रचा गया था । कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर श्री प्रकाश चन्द का चयन पूर्णतः गुणता के आधार पर था ।

7. दिनांक 03.05.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए शिकायतकर्ता का प्रवेश पत्र जानबूझकर समय रहते उस तक पहुंचने नहीं दिया गया ताकि प्रार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल ही न हो पाए । शिकायतकर्ता को उक्त पद हेतु प्रवेश पत्र उनके स्थायी पते पर मात्र एक कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हुआ जबकि शिकायतकर्ता उक्त संस्थान में एम.एड विशिष्ट शिक्षा का छात्र है तथा संस्थान के छात्रावास में निवास कर रहा है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान को दिनांक 17.02.2014 को आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा को रद्द कर संपूर्ण तथ्य की पूरी जांच के पश्चात् प्रवेश परीक्षा का आयोजन पुनः कराने का आदेश दें, जिसमें पद हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना उपलब्ध कराएं । साथ ही प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार समिति का चयन मंत्रालय के मानकों के आधार पर निर्धारित करवाएं । शिकायतकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि उन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और ब्रेल डिवल्पमैंट टीचर के लिए आवेदनपत्र अंतिम तारीख 15.04.2016 को शाम को 5.00 बजे भिजवाए थे, वे स्वीकार नहीं किए गए थे । कृपया उन्हें स्वीकार किया जाए तथा अन्य उम्मीदवारों की भांति शिकायतकर्ता को भी चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मौका दिया जाए । उपरोक्त पदों के लिए चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार अभी होना है ।

...5 / –

8. प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और सुनवाई में उपस्थित न होने की असमर्थता के बारे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई बावजूद इस तथ्य के कि सुनवाई का नोटिस उनके अनुरोध पर 07.03.2016 को जारी किया गया था । प्रतिवादी द्वारा सुनवाई में भाग न लेने में अपनी असमर्थता सूचित न करने और न ही सुनवाई में भाग लेने को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

9. शिकायतकर्ता की शिकायतों जिसमें उन्हें समय पर लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के लिए पत्र का न भेजा जाना, प्रतियोगिता संबंधी सूचना संस्थान की वैबसाइट पर दर्शाना इत्यादि शामिल हैं, तथा प्रतिवादी द्वारा दिए गए तथ्यों का विश्लेषण किया गया । यह न्यायालय मानता है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान विशेषतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लाभकारी योजनाओं तथा नीतियों को लागू करने के लिए कार्य कर रहा है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे विकलांगजनों के सशक्तिकरण के ध्येय को ध्यान में रखते हुए न केवल अपने विद्यार्थियों को बल्कि अन्य ऐसे विकलांगजनों को जो उनके संपर्क में आते हैं, उनके सशक्तिकरण एवं बढ़ोतरी के लिए कार्य करें एवं विकलांगजन अधिनियम की धाराओं को लागू करने की कार्रवाई को सुनिश्चित करें ताकि विकलांगजनों को शिकायत करने का मौका न मिले जिन पर इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े । तथापि, न्यायालय ने यह भी देखा कि कंप्यूटर टेस्ट एवं साक्षात्कार के लिए शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 06.02.2014 को भेजा गया जोकि दिनांक 14.02.2014 को सांय 05.13 पर शिकायतकर्ता को उनके निवास बोकारो में प्राप्त हुआ, जबकि उक्त परीक्षा दिनांक 17.02.2014 को प्रातः 9.30 बजे के लिए निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के कार्यालय में निर्धारित थी । अभ्यर्थी यदि छात्रावास में रहते हैं तो उन्हें अपने आवेदन में वहां का पता भी देना चाहिए तथा स्वयं वहां न होने की स्थिति में स्वयं इस पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें यथा समय उचित जानकारी प्राप्त हो सके । तथापि, प्रतिवादी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में किसी भी परीक्षा के लिए सूचना सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व भेजी जानी चाहिए जोकि अभ्यर्थियों के पास परीक्षा की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाए ताकि उन्हें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उचित समय मिल सके ।

.....6/–

10. इस न्यायालय का मानना है कि क्योंकि पुराने सभी मामले अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच चुके हैं, उनमें हस्तक्षेप किए बिना प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और ब्रेल डिवल्पमैंट टीचर के लिए आवेदनपत्र, जिनको उनके कथनानुसार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे अंतिम तारीख 15.04.2016 के पश्चात् प्राप्त हुए थे, शिकायतकर्ता के कथन को सही मानते हुए कि उन्होंने ये आवेदनपत्र अंतिम तारीख 15.04.2016 को शाम को 5.00 बजे भिजवाए थे, को स्वीकार किया जाए तथा अन्य उम्मीदवारों की भांति शिकायतकर्ता को भी चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मौका दिया जाए ।

10. मामले का तदनुसार निपटारण किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन